पॉक्सो अधिनियम 2012 के आधार पर विकसित विद्यालयी दिशा-निर्देशों के प्रति अध्यापकों की जागरूकता का अध्ययन

चेतना जठोल*
रंजीत कौर**

भारत सरकार द्वारा बाल यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम वर्ष 2012 में लागू किया गया। इसी अधिनियम को आधार बनाते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा वर्ष 2015 में विद्यालयों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए। इन्हीं दिशा-निर्देशों के बाद ज़मीनी स्तर पर जो परिवर्तन आए हैं, उन्हें जानना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि समाज में आज भी बाल यौन शोषण विषय पर चर्चा करना जन सामान्य के लिए सहज नहीं है। इस वर्ष अर्थात 2022 में इस अधिनियम को लागू हुए एक दशक पूरा हो जाएगा। पूर्व दशक में सरकारों के तमाम प्रयासों के बावजूद बच्चे से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण हितधारक, अध्यापक इस अधिनियम के बारे में कितने जागरूक हैं, यह जानना और भी आवश्यक है। यह जानना आवश्यक है क्योंकि घर के बाद बच्चे अपना सबसे अधिक समय विद्यालय में ही व्यतीत करते हैं। साथ ही यह भी पता लगाना आवश्यक है कि विद्यालय इस अधिनियम संबंधी दिशा-निर्देशों का कितना पालन कर रहे हैं। यह शोध-पत्र, हरियाणा के झज्जर तथा फ़रीदाबाद ज़िलों के 200 अध्यापकों पर किए गए शोध अध्ययन पर आधारित है। इस शोध अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग करते हुए शोधार्थी द्वारा स्व-निर्मित प्रश्नावली के माध्यम से आँकड़ों का संकलन किया गया तथा प्रतिशत विश्लेषण विधि से आँकड़ों का विश्लेषण किया गया। इस शोध अध्ययन के परिणाम दर्शाते हैं कि अध्यापकों में अब भी इस अधिनियम के विभिन्न आयामों के प्रति पर्याप्त जागरूकता नहीं है। साथ ही विद्यालय भी इससे संबंधित दिशा-निर्देशों का गंभीरता से पालन नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा, अध्यापकों को इस अधिनियम के बारे में प्रशिक्षण देने संबंधी प्रयास भी संतोषजनक रहे।

विश्व का हर दूसरा बच्चा यौन हिंसा एवं शोषण का शिकार हो रहा है। मानव समाज के लिए यह एक गंभीर समस्या है जो दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अमेरिका जैसा विकसित देश भी इससे अछूता नहीं है। अमेरिका में बाल यौन शोषण की दर एक सेकंड में 35 है (यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ़ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसज, 2007)। इन बाल यौन अपराध को बढ़ाने में ऑनलाइन अपलोड की जाने वाली यौन उत्पीड़न सामग्री एक प्रमुख कारण है। इस प्रकार की सामग्री को ऑनलाइन अपलोड करने वाले देशों में

**शोधार्थी*, शिक्षा विभाग, चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा, हरियाणा 125055
***प्रोफ़ेसर*, शिक्षा विभाग, चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा, हरियाणा 125055

भारत 11.7 प्रतिशत रिपोर्ट के साथ प्रथम स्थान पर है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में प्रत्येक दिन 109 बच्चे, बाल यौन उत्पीड़न के शिकार होते हैं और इस उत्पीड़न दर में प्रतिवर्ष बढ़ोतरी होती जा रही है। यह बढ़ोतरी पिछले साल की तुलना में 22 प्रतिशत दर्ज की गई है। यह गंभीर विषय है कि भारत में 18 वर्ष की आयु तक पहुँचते-पहुँचते हर दूसरा बच्चा यौन अपराध को किसी न किसी रूप में झेल चुका होता है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि 90 प्रतिशत यौन शोषण करने वाले अपराधी कोई और नहीं बल्कि खुद बच्चे के परिवार के सदस्य अथवा निकट संबंधी होते हैं। देश में लगे पहले लॉकडाउन ने इस तथ्य की पुष्टि की है कि लॉकडाउन की शुरुआत के 11 दिनों में ही 3,00,000 फोन कॉल, जो महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर 1098 पर आए, उनमें से 92,105 फोन कॉल केवल बच्चों पर हुए यौन अपराधों से संबंधित थे। कोविड की दूसरी लहर के दौरान हरियाणा राज्य में अप्रैल तथा मई माह में प्रतिदिन औसतन चार लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम (पॉस्को) संबंधी केस दर्ज हुए।

बच्चे की वृद्धि एवं विकास में सबसे अहम भूमिका परिवार की और उसके बाद विद्यालय की होती है, इसलिए इन्हें समाजीकरण के प्राथमिक अभिकरण भी कहा जाता है। बच्चों की वृद्धि एवं विकास में इसके अतिरिक्त कुपोषण, बालश्रम, गरीबी, घरेलू कलह आदि अनेक कारकों का भी योगदान है, लेकिन बाल यौन उत्पीड़न को जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि बच्चे के मानसिक, सामाजिक, शारीरिक, वैयक्तिक एवं संवेगात्मक विकास पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ता है। बच्चे प्रत्येक देश की पूँजी होते हैं, इसलिए देश के विकास पर परोक्ष रूप से इस उत्पीड़न का प्रभाव वर्तमान और भविष्य में नज़र आता है।

इस समस्या से उभरने के लिए समय-समय पर विधि के अनुसार अनेक प्रावधान किए गए हैं, लेकिन बढ़ रहे यौन उत्पीड़न को रोकने एवं बालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) 2012 लाया गया। इस अधिनियम में बच्चों के हितों और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए बच्चों को यौन अपराध, यौन उत्पीड़न तथा पोर्नोग्राफी से संरक्षण प्रदान करने के लिए लागू किया गया। यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चों के लिए है और यह बच्चे के कल्याण, हित और सुरक्षा का सम्मान करते हुए उसके बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक विकास को सुनिश्चित करता है।

प्राय: यह देखा गया है कि बच्चे अपने घर के किसी सदस्य अथवा नज़दीकी रिश्तेदार द्वारा किए गए यौन शोषण की घटनाएँ अपने घर के सदस्यों से नहीं कह पाते वह कई बार अपने अध्यापकों से बेझिझक साझा कर देते हैं। ऐसी स्थिति में अध्यापकों में बच्चों के यौन उत्पीड़न के प्रति संवेदनशीलता पैदा करना बहुत आवश्यक हो जाता है ताकि वह बच्चे को उचित मार्गदर्शन देकर एक सहायक एवं मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकें। वर्ष 2015 में इसी बात को ध्यान में रखते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने विद्यालयों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। इन दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि विद्यालय प्रबंधन अपने सभी हितधारकों को यौन शोषण तथा इससे संबंधित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम

(पॉक्सो) की जागरूकता को सबसे अहम मानते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाएगा। यह कार्यक्रम विद्यालयों में केवल अध्यापकों को ही जागरूक नहीं करेगा बल्कि परिजनों को भी यौन अपराध रोकने से संबंधित प्रावधानों से लाभान्वित करेगा।

भारत में वर्ष 2018 में यौन उत्पीड़न के 39,827 केस दर्ज किए गए, जिनकी संख्या 2017 में 32,608 थी, यह संख्या बढ़ोतरी की तरफ संकेत करती है। 2008–2018 के वर्ष अंतराल में बच्चों के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न में छह गुना वृद्धि हुई है (राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, 2020)। भारत में यौन शिक्षा पर अधिकतर लोग खुलकर बात नहीं करते हैं। यौन संबंधी विषयों पर प्राय: सामाजिक रूप से बात करना निषेध माना जाता है। इसलिए बच्चों के परिजन एवं अभिभावक जानकारी के अभाव के कारण अपने बच्चों को यौन उत्पीड़न से जुड़ी घटनाओं से निपटने के लिए जागरूक नहीं कर पाते। इस प्रकार उचित मार्गदर्शन एवं आवश्यक ज्ञान के अभाव के कारण हमारे देश के अनेक बच्चे यौन उत्पीड़न का शिकार हो जाते हैं (एन.आई.पी.सी.डी., 2015)।

शोध का औचित्य

देश के 13 राज्यों के 12,447 न्यादर्श पर किए गए एक सर्वे द्वारा ज्ञात हुआ है कि 53.22 प्रतिशत बच्चे एक या एक से अधिक प्रकार के यौन शोषण का शिकार हो चुके हैं और आंध्र प्रदेश, बिहार, असम तथा दिल्ली में इन घटनाओं की संख्या सबसे अधिक पाई गई (महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय, 2007)। वहीं दिल्ली तथा मुंबई की विशेष अदालतों में 2012 से 2015 के बीच दर्ज हुए केसों का अध्ययन करने पर पाया गया कि 82.5 प्रतिशत बाल यौन शोषण से संबंधित केस थे, जिनमें अपराधी बच्चे का कोई अपना ही जानकार या रिश्तेदार था और इनमें सबसे ज़्यादा 28 प्रतिशत अपराधी बच्चे के पड़ोसी थे (एच.एक्यू. सेंटर फ़ॉर चाइल्ड राइट्स, 2017)। यौन शोषण के मामलों में हर साल वृद्धि हो रही है और पॉक्सो से संबंधित 51 प्रतिशत केस केवल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा दिल्ली में दर्ज हुए हैं (कैलाश सत्यार्थी बाल संस्थान, 2021)। शोधार्थी द्वारा बाल यौन अपराध पर आधारित शोध कार्यों का अवलोकन करने पर पाया गया कि इस विषय के कानूनी अथवा विधि पक्ष को लेकर ही अधिकतर शोध अध्ययन किए गए हैं। लेकिन यौन उत्पीड़न की घटना घटित होने से पूर्व अनेक आवश्यक बातें हैं, जैसे— बच्चे के परिजनों की जागरूकता का स्तर एवं विद्यालयी परिवेश में पॉक्सो अधिनियम के प्रति संवेदनशीलता एवं जागरूकता का अध्ययन से संबंधित बहुत कम शोध अध्ययन हुए हैं, इसलिए शोधार्थी ने इस समस्या का शोध अध्ययन हेतु चयन किया।

यह विषय कानूनी प्रावधानों के साथ-साथ शिक्षा में एक अहम विषय है। इसे 2015 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा विद्यालयों हेतु जारी विस्तृत दिशा-निर्देश समझ सकते हैं। इस शोध अध्ययन में हरियाणा राज्य के अध्यापकों की लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के प्रति जागरूकता एवं उन्हें प्रशिक्षित करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों की स्थिति को केंद्र में रखा गया। यहाँ पर अध्यापकों के जागरूकता से अभिप्राय पॉक्सो के अंतर्गत विद्यालयों को जारी

किए गए दिशा-निर्देशों के बारे में जानकारी से है। यह शोध अध्ययन पॉक्सो की कानूनी प्रक्रिया से पहले की स्थिति को समझने में सहायक होगा।

शोध उद्देश्य

1. पॉक्सो के अंतर्गत विद्यालयी दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन की स्थिति का अध्ययन करना।
2. पॉक्सो के प्रति अध्यापकों में जागरूकता का अध्ययन करना।
3. विद्यालयों में पॉक्सो पर अध्यापकों को दिए गए प्रशिक्षण का अध्ययन करना।

शोध विधि तथा न्यादर्श

इस शोध अध्ययन हेतु शोधार्थी ने वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया था। यह शोध अध्ययन वर्ष 2021–22 में किया गया था। इस शोध अध्ययन में न्यादर्श के रूप में हरियाणा के दो जिलों—झज्जर तथा फ़रीदाबाद के विद्यालयों का उद्देश्यपरक विधि द्वारा चयन किया गया था। इन चयनित विद्यालयों में से सरकारी विद्यालयों के 100 अध्यापकों तथा निजी विद्यालयों के 100 अध्यापकों का चयन किया गया था।

शोध उपकरण

इस शोध अध्ययन में शोधार्थी द्वारा आँकड़ों के एकत्रीकरण हेतु स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया था।

आँकड़ों का विश्लेषण

इस शोध अध्ययन में प्रश्नावली से प्राप्त आँकड़ों का विश्लेषण व्याख्यात्मक विश्लेषण विधि द्वारा किया गया था।

आरेख 1— क्या आपके विद्यालय में सीसीटीवी लगे हुए हैं?

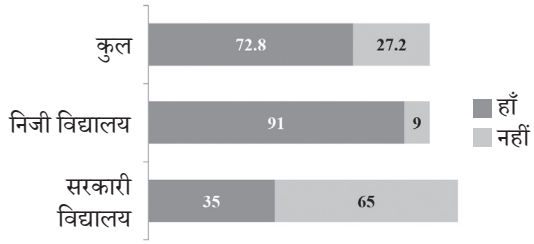

उद्देश्य 1— पॉक्सो के अंतर्गत विद्यालयी दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन की स्थिति का अध्ययन

आरेख 1

आरेख 1 के आँकड़ों से ज्ञात होता है कि शोधार्थी के द्वारा अध्यापकों से पूछे गए प्रश्न 'क्या आपके विद्यालय में सीसीटीवी लगे हुए हैं?' के उत्तर में कुल 72.8 प्रतिशत अध्यापकों ने कहा कि उनके विद्यालय में सीसीटीवी लगे हुए हैं। इसमें निजी विद्यालयों के 91 प्रतिशत तथा सरकारी विद्यालयों के केवल 45 प्रतिशत अध्यापकों ने अपने विद्यालय में सीसीटीवी लगे होने की पुष्टि की। हरियाणा के विद्यालय शिक्षा निदेशालय द्वारा 2017 में निजी विद्यालयों को तुरंत सीसीटीवी लगाने के निर्देश जारी किए गए थे। सरकारी विद्यालयों को इसके लिए आवश्यक बजट की माँग बताने के लिए कहा गया था परंतु सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों को सीसीटीवी के लिए अभी तक किसी भी प्रकार का फंड नहीं दिया गया। इसी कारणवश बहुत कम सरकारी विद्यालयों में सीसीटीवी लगाए गए हैं। जिन विद्यालयों में सीसीटीवी लगे हुए हैं वह अधिकतर ग्राम पंचायत या गैर-सरकारी संस्थानों द्वारा लगवाए गए हैं।

आरेख 2

आरेख 2 में शोधार्थी के द्वारा अध्यापकों से पूछे गए प्रश्न 'क्या आपके विद्यालय में शिकायत पेटी लगी हुई है?' की प्रतिक्रिया दर्शाई गई है। कुल 70.2 प्रतिशत अध्यापकों ने माना कि उनके विद्यालय में यौन शोषण रोकने हेतु शिकायत पेटी का प्रावधान है। यह प्रतिक्रिया दोनों प्रकार के विद्यालयों के अध्यापकों की लगभग एकसमान (70 प्रतिशत) थी।

आरेख 2— क्या आपके विद्यालय में शिकायत पेटी लगी हुई हैं?

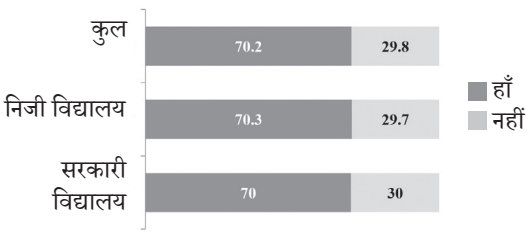

आरेख 3

पॉक्सो के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में एक परामर्शदाता होना अनिवार्य है। शोधार्थी ने जब यह प्रश्न अध्यापकों से पूछा कि 'क्या आपके विद्यालय में पार्ट टाइम या नियमित काउंसलर (परामर्शदाता) हैं?', इसकी प्रतिक्रिया में केवल 42.4 प्रतिशत अध्यापकों ने अपने विद्यालय में परामर्शदाता होने की बात की पुष्टि की। निजी विद्यालयों के 53.8 प्रतिशत अध्यापकों ने अपने विद्यालय में परामर्शदाता होने की पुष्टि की, जबकि सरकारी विद्यालय के केवल 25 प्रतिशत अध्यापकों ने अपने विद्यालय में परामर्शदाता की नियुक्ति होना स्वीकार किया। इसका कारण यह है कि हरियाणा के प्रत्येक सरकारी विद्यालय में काउंसलर की नियुक्ति का प्रावधान नहीं है, यह नियुक्ति केवल खंड स्तर पर तथा जिला स्तर पर की जाती है। यही काउंसलर प्रत्येक सरकारी विद्यालय में समय-समय पर जाकर विद्यार्थियों को मार्गदर्शन तथा परामर्श प्रदान करते हैं।

आरेख 3— क्या आपके विद्यालय में पार्ट टाइम या नियमित काउंसलर (परामर्शदाता) है?

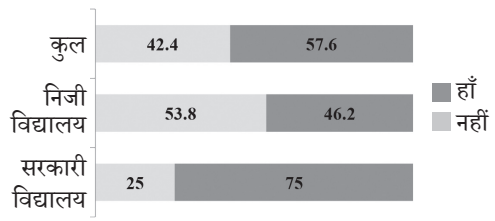

आरेख 4

पॉक्सो के अंतर्गत बाल यौन अपराध रोकने हेतु प्रत्येक विद्यालय में एक बाल सुरक्षा समिति गठन करने का प्रावधान है। शोधार्थी द्वारा अध्यापकों से विद्यालय में बाल सुरक्षा समिति के गठन के बारे में पूछने पर 61.6 प्रतिशत अध्यापकों ने माना कि उनके विद्यालय में इस समिति का गठन किया गया है। 78.34 प्रतिशत सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों ने अपने विद्यालय में बाल सुरक्षा समिति के गठन की बात की, वहीं 50.55 प्रतिशत निजी विद्यालयों के अध्यापकों ने कहा कि उनके विद्यालय में बाल सुरक्षा समिति है। इसका कारण यह हो सकता है कि निजी विद्यालयों में बाल सुरक्षा कमेटी की जानकारी अध्यापकों तक नहीं पहुँचाई गई होगी या फिर विद्यालयों के द्वारा ऐसी कमेटियाँ तो बना ली जाती हैं, परंतु सक्रिय न होने के कारण अध्यापकों को इसकी जानकारी नहीं होती होगी।

आरेख 4— क्या आपके विद्यालय में बाल सुरक्षा कमेटी है?

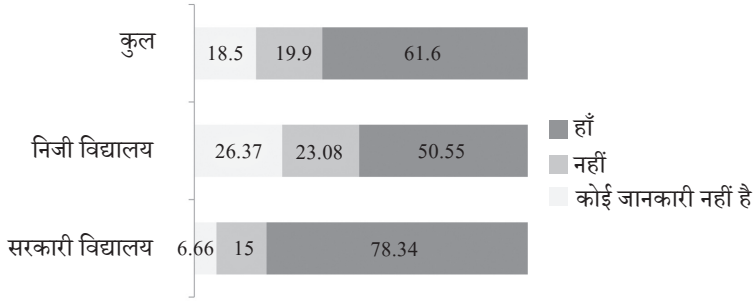

तालिका 1— अध्यापकों की पॉक्सो के प्रति जागरूकता

प्रश्न	उत्तर	कुल	सरकारी विद्यालय के अध्यापक	निजी विद्यालय के अध्यापक
क्या आपने पॉक्सो के बारे में पहले कभी सुना है?	हाँ	88.7	100	81.3
	नहीं	11.3	0	19.7
क्या आप पॉक्सो के तहत अपने दायित्वों के बारे में परिचित हैं?	हाँ	53.6	80	36.26
	नहीं	8.6	1.6	13.18
	कुछ सीमा तक	37.7	18.4	50.56

उद्देश्य 2— पॉक्सो के प्रति अध्यापकों की जागरूकता का अध्ययन

तालिका 1 से स्पष्ट है कि शोधार्थी द्वारा अध्यापकों से पूछा गया प्रश्न कि 'क्या आपने पॉक्सो के बारे में पहले कभी सुना है?' इसकी प्रतिक्रिया में कुल 88.7 प्रतिशत अध्यापकों ने पॉक्सो के बारे में पहले से जानकारी के बारे में अपनी सहमति व्यक्त की। इसमें सरकारी विद्यालयों के शत-प्रतिशत अध्यापकों ने इस अधिनियम की पहले से जानकारी होने की बात की, वहीं निजी विद्यालयों के 81.3 प्रतिशत अध्यापकों ने इसकी जानकारी होने और जागरूकता का कारण देश में अध्यापकों के लिए चलाए जा रहे अध्यापक क्षमता विकास कार्यक्रम 'निष्ठा' है। जिसमें प्रतिभागिता कर सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों को पॉक्सो के बारे में जानकारी थी।

पॉक्सो में अध्यापकों के दायित्वों का भी विस्तारपूर्वक विवरण दिया गया है। शोधार्थी ने जब अध्यापकों से उनके पॉक्सो के प्रति दायित्वों की जागरूकता के बारे में पूछा तो 53.6 प्रतिशत अध्यापकों ने सहमति प्रकट की। 37.7 प्रतिशत अध्यापकों ने कहा कि उन्हें कुछ सीमा तक अपने दायित्वों की जानकारी है जबकि 8.6 प्रतिशत अध्यापकों को कोई जानकारी नहीं थी। सरकारी विद्यालयों के 80 प्रतिशत और निजी विद्यालयों में 36.26 प्रतिशत अध्यापकों ने कहा कि उन्हें पॉक्सो

आरेख 5— पॉक्सो के अतंर्गत किस आयु वर्ग के बच्चे आते हैं?

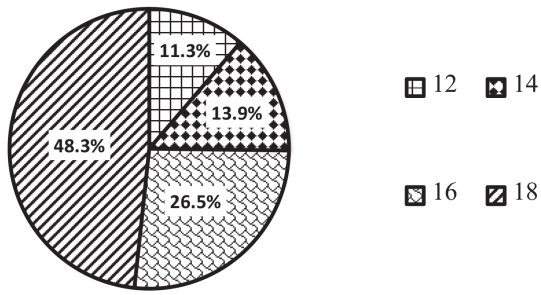

के प्रति अपने दायित्व की पूर्ण रूप से जानकारी है। इसका कारण यह हो सकता है कि सरकारी अध्यापकों के लिए पॉक्सो संबंधी जागरूकता के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिसके कारण अधिकतर अध्यापकों को अपने दायित्वों की जानकारी है परंतु निजी विद्यालयों में इस दिशा में अभी अधिक ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

आरेख 5 से स्पष्ट होता है कि पॉक्सो संबंधी जागरूकता हेतु शोधार्थी द्वारा प्रश्न पूछा गया कि, 'पॉक्सो के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चे आते हैं? के प्रश्न के बारे में 48.3 प्रतिशत अध्यापकों ने सही जानकारी देते हुए बताया कि यह अधिनियम 18 वर्ष तक के बच्चों पर लागू होता है। जबकि 26.5 प्रतिशत अध्यापकों ने 16 वर्ष, 13.9 प्रतिशत अध्यापकों ने 14 वर्ष और 11.3 प्रतिशत अध्यापकों ने 12 वर्ष तक के बच्चों को अधिनियम के अंतर्गत आने की बात कही जो कि गलत है। इस परिणाम के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पॉक्सो संबंधी निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना आवश्यक है ताकि अध्यापकों को इसके सभी बिंदुओं की पूर्ण जानकारी हो सके।

उद्देश्य 3— पॉक्सो पर विद्यालयों में अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु प्रयासों का अध्ययन

आरेख 6

आरेख 6 के आँकड़ों से ज्ञात होता है कि 38.4 प्रतिशत अध्यापकों ने कहा कि उनके विद्यालय

आरेख 6— विद्यालय में पॉक्सो अधिनियम संबंधी प्रशिक्षण का आयोजन

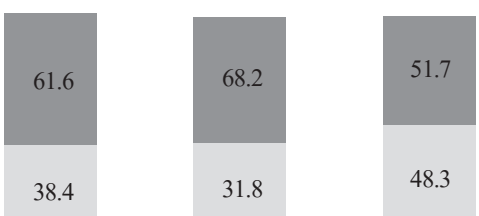

	कुल	निजी विद्यालय	सरकारी विद्यालय
हाँ	61.6	68.2	51.7
नहीं	38.4	31.8	48.3

में पॉक्सो अधिनियम संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसमें निजी विद्यालयों के 31.8 प्रतिशत अध्यापकों और सरकारी विद्यालयों के 48.33 प्रतिशत अध्यापकों ने माना कि उनके विद्यालयों में पॉक्सो संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वहीं औसत से अधिक अर्थात 61.6 प्रतिशत अध्यापकों ने बताया कि उनके विद्यालय में पॉक्सो पर कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाते हैं।

निष्कर्ष

प्रत्येक राष्ट्र की प्रगति एवं खुशहाली का एक महत्वपूर्ण पैमाना यह है कि उस राष्ट्र के बच्चे अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? एक अच्छी शासन प्रणाली में यह सुनिश्चित किया जाना अत्यंत आवश्यक है कि हर बच्चा बिना किसी डर के खुशी-खुशी अपने बचपन का आनंद उठा सके। परंतु हमारे देश में यह बहुत ही चिंताजनक स्थिति है, जिसमें बच्चे न तो घर के बाहर और न ही घर में सुरक्षित हैं। यौन शोषण के निरंतर बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत सरकार द्वारा 2012 में बाल सुरक्षा हेतु कठोर कानून पॉक्सो को लागू किया गया था। परंतु लगभग 10 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी बच्चों से जुड़े हितधारकों में इससे जुड़ी जानकारी तथा जागरूकता का अभाव है। इसमें बच्चों से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण हितधारक अध्यापक भी हैं, परंतु इस शोध अध्ययन में किए गए विश्लेषण से ज्ञात होता है कि अब भी 11.3 प्रतिशत अध्यापक ऐसे हैं, जिन्होंने पॉक्सो का नाम भी नहीं सुना, जबकि केवल 53.6 प्रतिशत अध्यापक ही पॉक्सो के तहत अपने दायित्वों के प्रति जागरूक हैं। इसका प्रमुख कारण यह हो सकता है कि विद्यालयों द्वारा अध्यापकों को इस अधिनियम के बारे में पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। अधिकतर अध्यापकों को सरकारी अथवा गैर-सरकारी संगठनों के द्वारा पॉक्सो के अंतर्गत आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजा नहीं जाता है या अध्यापक स्वयं भी पहल नहीं करते हैं। इस अधिनियम के आधार पर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग द्वारा विकसित एवं जारी किए गए दिशा-निर्देशों को भी अभी तक सभी विद्यालयों द्वारा लागू नहीं किया गया है। वहीं 50 प्रतिशत से भी अधिक विद्यालयों में अब तक स्थायी या अस्थायी काउंसलर की नियुक्ति नहीं की गई है। जबकि अधिकतर विद्यालयों ने अब तक बच्चों के लिए शिकायत पेटी तथा सीसीटीवी जैसी बुनियादी सुविधा भी उपलब्ध नहीं करवाई है जो कि एक चिंता का विषय है। बच्चों के सुरक्षित एवं सुनहरे भविष्य के लिए आवश्यक है कि इन कमियों को शीघ्र दूर करके विद्यालय का वातावरण सुरक्षित बनाया जाए ताकि बच्चे बिना किसी झिझक के अपनी बात अध्यापक के सामने रख सके। साथ ही अध्यापकों को भी निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा इतना जागरूक और संवेदनशील बनाया जाए कि वे प्रत्येक बच्चे की बात को समझ सकें तथा अपना दायित्व निभा सकें। यह भी सुनिश्चित किया जाना अत्यंत आवश्यक है कि सभी विद्यालय पॉक्सो संबंधी दिशा-निर्देशों के पालन कड़ाई से करें, क्योंकि बाल यौन अपराध की रोकथाम ही हमें एक स्वस्थ एवं सशक्त समाज प्रदान करेगी।

शैक्षिक निहितार्थ

इस शोध अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ इस प्रकार हैं—

- बच्चा अपने जीवन का एक लंबा समय विद्यालय में व्यतीत करता है इसलिए बच्चे को सुरक्षित परिवेश प्रदान करने में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस संदर्भ में विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा हेतु दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन होना अत्यंत आवश्यक है। सभी विद्यालयों में बच्चों के लिए शिकायत पेटी, बाल सुरक्षा कमेटी तथा सीसीटीवी की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए।
- बच्चे से जुड़े महत्वपूर्ण हितधारकों में उसके माता-पिता के साथ-साथ अध्यापक भी हैं। अतः इस शोध अध्ययन के परिणामों के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाए कि अध्यापकों को न केवल पॉक्सो संबंधी विभिन्न आयामों की जागरूकता हो बल्कि उन्हें अपने दायित्वों से भी परिचित करवाया जाए ताकि वे बाल यौन शोषण संबंधी शिकायतों का ज़िम्मेदारीपूर्वक समाधान कर सकें।
- इस शोध के परिणामों के दृष्टिगत आवश्यक है कि विद्यालयों में पॉक्सो संबंधी जागरूकता लाने के लिए समय-समय पर हितधारकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम जागरूकता रैली, पोस्टर, नारे, विभिन्न साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताएँ, घर-घर संपर्क कार्यक्रम एवं संवाद आदि आयोजित किए जाएँ तथा अध्यापकों को पर्याप्त प्रशिक्षण के अवसर प्रदान किए जाए। इसमें बच्चों के माता-पिता और बच्चे, दोनों यौन शोषण के प्रति और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे।

संदर्भ

एच.एक्यू. सेंटर फ़ॉर चाइल्ड राइट्स. 2017. *लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) एक्ट. गोल्स. गैप्स एंड चेलेंजेस,* एचएक्यू सेंटर फ़ॉर चाइल्ड राइट्स. नई दिल्ली.

एन.आई.पी.सी.सी.डी. 2015. *हैंडबुक ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ़ पास्को एक्ट 2012 फ़ॉर स्कूल मैनेजमेंट एंड स्टॉफ़.* नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेव्लपमेंट, हौज खास, नई दिल्ली.

कैलाश सत्यार्थी बाल संस्थान. 2021. *पुलिस केस डिस्पोसल पैटर्न— एन एंक्वाइरी इंटू द केसेस फाईल्ड अंडर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) एक्ट,* नई दिल्ली.

चिल्ड्रेन डिफेंस फंड. 2020. *द स्टेट ऑफ़ अमेरिका चिल्ड्रेनस* 2010. वाशिंगटन डीसी. 12 मार्च 2022 को http://ww38.childrendefense.org/child-research-data-publications/data/state-of-americas-children-2010-report.html से प्राप्त किया गया.

डब्ल्यूएचओ. 2020. *ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन प्रिवेंटिंग वायलेंस अगेन्स्ट चिल्ड्रेन.* वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन, जेनेवा.

भारती., एस. 2020. 90 *परसेंट ऑफ़ अब्यूज़र्स आर नॉन टू विक्टिम— हाऊ दिस एनजीओ इज़ प्रेपरियंग फ़ैमिलीज टू फ़ाइट चाइल्ड सेक्सुयल अब्यूज.* 10 मार्च 2022 को https://thelogicalindian.com/exclusive/lockdown-child-sexual-abuse-cases-20852 से प्राप्त किया गया.

महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय. 2007. *स्टडी ऑन चाइल्ड अब्यूस्ज़— इंडिया* 2007. महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली.

यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ़ हेल्थ एंड ह्युमन सर्विसेज़. 2007. *ट्वेंटी सेवंथ एनुअल रिपोर्ट टू कांग्रेस ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ़ द इंडिविजुअलस विद डिसएबिलिटीज एक्ट 2005*. वाशिंगटन डीसी, ऑफ़िस ऑफ़ स्पेशल एजुकेशन एंड रिहबिलिटेटिव सर्विसेज.

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो. 2020. *क्राइम इन इंडिया 2020*. गृह मंत्रालय, नई दिल्ली.